PAPERS TO BE LAID ON THE TABLE OF LOK SABHA

Authenticated
[signature]
(Ramdulari Sinha)
Minister of State for Mines
Ministry of Steel and Mines

New Delhi, the November, 1987.

(T-5110/87)

~~TO BE~~ PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA
EXTRAORDINARY PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (1)

GOVERNMENT OF INDIA
(BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF STEEL AND MINES
(ISPAT AUR KHAN MANTRALAYA)
DEPARTMENT OF MINES
(KHAN VIBHAG)

NEW DELHI, THE 14 TH OCT., 1987.

NOTIFICATION

G.S.R. 855 (E). In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely:-

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (Second Amendment) Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960, after sub-rule(7) of rule 24A, the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(8) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) and sub-rule(6) any application for the first renewal of a mining lease, so declared under the provisions of section 4 of the Goa, Daman and Diu Mining Concessions (Abolition and Declaration as Mining Lease) Act, 1987, shall be made to the State Government in Form J before the expiry of the period of mining lease in terms of sub-section (1) of section 5 of the said Act, through such office or authority as the State Government may specify in this behalf :

..........2/-

Provided that the State Government may, for reasons to be recorded in writing and subject to such conditions as it may think fit, allow extension of time for making of such application upto a total period not exceeding one year.

(9) If an application for first renewal made within the time referred to in sub-rule (8) or within the time allowed by the State Government under the proviso to sub-rule (8), the period of that lease shall be deemed to have been extended by a period of one year from the date of expiry of lease or date of receipt of application, whichever is later, provided that the period of deemed extension of lease shall end with the date of receipt of the orders of the State Government thereon, if such orders are made earlier.".

sd/ —
(SURENDRA MISHRA)
JOINT SECRETARY
F.No. 18(9)/87-M.VI.

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Industrial Area,
Ring Road Near Rajauri Garden,
New Delhi.

लोकसभा के पटल पर रखेजानेवाले कागज

अधिप्रमाणितकृत
(हस्ताक्षर)
(रामदुलारी सिन्हा)
राज्यमंत्री (खान)
इस्पात और खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक नवम्बर, 1987

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (1), तारीख---- में प्रकाशित)

सं0 18/9/87-एम-6
भारत सरकार
इस्पात और खान मंत्रालय
खान विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्तूबर, 1987

अधिसूचना

सा0का0नि0--- 855(ई) केन्द्रीय सरकार खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज रियायत नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज रियायत (द्वितीय संशोधन) नियम, 1987 है ।

[illegible] में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. [illegible] नियम, 1960 में नियम 24 क के उपनियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात :-

उपनियम (1) और उपनियम (6) में किसी बात के होते हुए भी, गोवा, दमन और दीव खनन रियायत (उत्सादन और खनन पट्टे के रूप में घोषणा) अधिनियम, 1987 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन इस प्रकार घोषित खनन पट्टे के प्रथम नवीकरण के लिए कोई आवेदन उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के निबन्धनों के अनुसार खनन पट्टे की अवधि की समाप्ति के पूर्व प्ररूप (अ) में ऐसे कार्यालय या प्राधिकारी के माध्यम से, जो राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें, राज्य सरकार को किया जाएगा :

परन्तु राज्य सरकार, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह ठीक समझे, एक वर्ष से अनधिक की कुल अवधि तक ऐसा आवेदन करने के लिए समय बढ़ा सकेगी ।

(9) यदि प्रथम नवीकरण के लिए कोई आवेदन उपनियम (8) में निर्दिष्ट समय के भीतर या उपनियम (8) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञात समय के भीतर किया जाता है, तो उस पट्टे की अवधि पट्टे की समाप्ति की तारीख से या आवेदन की प्राप्ति की तारीख से, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, एक वर्ष की अवधि तक बढ़ाई गई समझी जाएगी, परन्तु पट्टे की बढ़ी समझी गई अवधि उस पर राज्य सरकार के आदेशों की प्राप्ति की तारीख के साथ, यदि ऐसे आदेश पहले किए गए हैं तो समाप्त हो जाएगी ।

(हस्ताक्षर) 14-X-87
(सुरेन्द्र मिश्रा)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
प्रबंधक, भारत सरकार प्रेस,
मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया,
[illegible] नई दिल्ली

PAPERS TO BE LAID ON THE TABLE OF LOK SABHA

Authenticated
Rh Sinha
(Ramdulari Sinha)
Minister of State for Mines
Ministry of Steel and Mines

New Delhi, the November, 1987

PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA
EXTRAORDINARY PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (1)

(LT-5110/87)

GOVERNMENT OF INDIA
(BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF STEEL AND MINES
(ISPAT AUR KHAN MANTRALAYA)
DEPARTMENT OF MINES
(KHAN VIBHAG)

NEW DELHI, THE 14TH OCT., 1987

NOTIFICATION

CORRIGENDUM

GSR 856 (E)........ In the amendments to the Third Schedule to the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957) published with the notification of the Government of India, Ministry of Steel and Mines, Department of Mines No. G.S.R. 458(E), dated the 5th May, 1987, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (1), -

at page 10, in the Third Schedule, under column 1, item 2, for "upto 50 hectares", read "above 50 hectares".

14.x.87

(SURENDRA MISHRA)
JOINT SECRETARY
F.No. 3(9)/84-M.VI (Vol.III)

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Industrial Area,
Ring Road, Near Rajouri Garden,
New Delhi.

लोकसभा के पटल पर रखेजानेवाले कागज

अधिप्रमाणितकृत
(हस्ताक्षर)
(रामदुलारी सिन्हा)
राज्यमंत्री (खान)
इस्पात और खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक नबम्बर, 1987

(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 2 खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित)

भारत सरकार
इस्पात और खान मंत्रालय
खान विभाग
...

नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्तूबर, 1987

शुद्धि-पत्र

सा0का0नि0 856(ई)--- भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 2 खंड 3, उपखंड (i) में दिनांक 5 मई, 1987 को भारत सरकार, इस्पात और खान मंत्रालय, खान विभाग की अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 458 (ई) के साथ प्रकाशित खान तथा खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की तृतीय अनुसूची के संशोधन में-

पृष्ठ 10 पर तृतीय अनुसूची में, कालम 1, मद 2 के नीचे "50हेक्टेयर तक" के स्थान पर "50 हेक्टेयर से अधिक" पढ़ा जाये।

(हस्ताक्षर) 14-X-87

(सुरेन्द्र मिश्रा)
संयुक्त सचिव
फा0सं0 3/9/84-एम-6(खंड-3)

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार प्रेस,
मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
रिंग रोड, नई दिल्ली